ग्राम पंचायत नरवाणा खास, विकास खण्ड धर्मशाला जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176052 के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत नरवाणा खास, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्रीमती सरिता देवी	01.04.2023 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्रीमती सविता देवी	01.04.2023 से 25.12.2023
2	श्रीमती पम्मी देवी	26.12.2023 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्री अजय कुमार	01.04.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्री विशाल कुमार	01.04.2023 से 20.06.2023
2	श्री विनोद कुमार	21.06.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत नरवाणा खास के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषों में अन्तर पाया जाना	2.86
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	35.97
3	6	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.95
4	7.2	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.02
5	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	2.01
6	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	0.91
7	8.3	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	4.17
8	9	पेवर ब्लॉक क्रय में अनियमित भुगतान	0.79
9	10	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	2.05

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नरवाण खास का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 व 01/04/2021 से 31/03/2023 के लिये किया गया था, जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः—

(1)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	5(1)	अनिर्णीत	—

2.	8	अनिर्णीत	—
3.	10	अनिर्णीत	—
4.	12	अनिर्णीत	—

(2)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	अनिर्णीत	—
2.	4(क)(ख)	अनिर्णीत	—
3.	4.1	अनिर्णीत	—
4.	4.2	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
5.	4.3	अनिर्णीत	—
6.	4.4	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
7.	5	अनिर्णीत	—
8.	6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
9.	7(क)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
10.	8.1,8.2,8.3	अनिर्णीत	—
11.	9(क),(ख)(ग)	अनिर्णीत	—
12.	10	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
13.	11	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
14.	12	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत नरवाणा खास के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.10.2024 से 06.11.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:—

वर्ष	आय	व्यय
2023—24	05 / 2023	08 / 2023

अस्वीकरण (Disclaimer):—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत के अवधि 01 / 04 / 2023 से 31 / 03 / 2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000 / — आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा / अ.वृ.का. / 2024 / 526 दिनांक—06.11.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थिति:—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:— राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ.वृ.का. / 2024 / 514 दिनांक:—30.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है:—

1.स्व:—स्त्रोत:—

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4—5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2023-24	481059.19	185547.00	666606.19	206520.00	460086.19

2.अनुदान:—

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4—5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2023-24	3581399.44	4300681.00	7882080.44	4285225.00	3596855.44

कुल योग (1+2) 460086.19+3596855.44 **=4056941.63**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹40,56,941.63 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹43,42,584.63 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत	पी•एन•बी योल	6710000100029857	340160.19
2	स्वःस्त्रोत/5वां वित/एस.डी.पी/एल.ए.डी.पी/एम.एम.जी.पी.वाई	का•के•सह•बैंक योल	20121009825	1057209
3	पंचायत समिति	का•के•सह•बैंक योल	50055835784	0
4	जिला परिषद	का•के•सह•बैंक योल	50055835795	0
5	स्वच्छता समिति	का•के•सह•बैंक टंग	50075336420	150841
6	एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक योल	50055835740	376228
7	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक योल	50055835819	337439
8	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक योल	50055835660	377155
9	14वाँ वित्त,	आई•डी•बी•आई.बैंक योल	1106104000044891	37857
10	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	पी•एन•बी योल	6710000100065442	1664285.44
	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत, ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			1410
	हस्तगत शेष (स्वच्छता समिति, ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹4342584.63
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹4056941.63
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹4342584.63
अन्तरः–				₹285643

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4 **(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹2.86 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत नरवाणा खास द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में

दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹2,85,643/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है। उक्त अनियमितता से सम्बन्धित आपत्ति को अंकेक्षण विभाग द्वारा गत अंकेक्षण में भी उठाया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/516 दिनांकः–01.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एंव रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत नरवाणा खास के बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, 5वां वित, एस.डी.पी, एल.ए.डी.पी, एम.एम.जी.पी.वाई आदि शीर्षों के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20121009825 खोला गया था। इसके अतिरिक्त सभा निधि का एक अन्य खाता संख्या 6710000100029857 ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं नियमों/निर्देशों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण विभाग द्वारा बार–बार एक ही तरह की आपत्ति को उठाया जाना तथा ग्राम पंचायत द्वारा उसकी एवज में कोई ठोस कार्रवाई अमल में न लाना, ग्राम पंचायत की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/525 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा

दिया गया उत्तर कि स्कीम वाईज खातों का अनुसंधारण कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जयएगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाता बही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2023–24 की खाता बही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाता बही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यों हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं। इस अनियमितता से सम्बन्धित आपत्ति को भी गत अंकेक्षण में भी विभाग द्वारा पैरा संख्या 4.4 के अंतर्गत उठाया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गयीः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं0,मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	एस.डी. आर.एफ	14/24.08. 2023	42135/24. 08.2023	मुरम्मत सुरक्षा दीवार नजदीक अनिल कुमार, ऋषि और अनूप कुमार जमीन वार्ड–2	16040
2	एस.डी. आर.एफ	12/25.08. 2023	मस्ट्रोल–7773	निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक श्रेष्ठा देवी के घर वार्ड–2	41714
3	15वां वित	23,25/ 10.08.2023, 25.08.2023	989/15.10. 2022, मस्ट्रोल–7769	निर्माण गैट पंचवटी पार्क नजदीक सुदल नाला वार्ड–4	73794
4	मनरेगा	शून्य/02. 08.23	1971,511,513 ,515/19.03. 23,04.09. 22,08.09. 22,15.09.22	पंचवटी पार्क में साइक्लोन शेल्टर का निर्माण कार्य वार्ड–4	194271

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/525 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाता बही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्तमान व गत अंकेक्षण 2021–22 ,2022–23 अवधि की खाता बही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान की राशि ₹35.97 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/514 दिनांकः–30.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹35,96,855.44 की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	तीसरा/5वां वित	31.03.2024	305509.00
2	एल.ए.डी.पी	31.03.2024	218129.00
3	एस.डी.पी	31.03.2024	216055.00
4	एम.एम.ए.जी.वाई	31.03.2024	100000.00
5	स्वच्छता समिति	31.03.2024	162043.00
6	एस.डी.आर.एफ	31.03.2024	157277.00
7	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	398920.00
8	एम.पी.लेड	31.03.2024	334874.00
9	14वाँ वित्त	31.03.2024	39763.00
10	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1664285.44
		कुल जोड	**3596855.44**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत काफी पीछे है। ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

इतनी अत्याधिक शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/517 दिनांक–01.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय कर लिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरान्त अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

6 सम्पति कर/गृहकर की ₹1.95 लाख की बहुत ज्यादा राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/514 दिनांकः–30.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹195400**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु

शेष थी। क्योंकि अवधि 2023–24 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि की प्राप्ति नहीं गई थी, जोकि उरोक्त नियम की ग्राम पंचायत द्वारा पूर्णतः अवहेलना की गई है। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। यदि पंचायत राजस्व बकाया इसी तरह बढ़ता रहा तो किसी एक समय पर इसे वसूल/संग्रहित करना असम्भव हो सकता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/518 दिनांकः–04.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा सम्पत्ति कर/गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को भी तैयार कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्त्युत्तर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पत्ति कर/गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित करके व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त सम्पत्तिकर के रूप में बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व का मामला विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

7.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.01 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल.श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के

बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार 04 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200/400 की दर से कम राशि वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹1000 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थेः–

क्र0सं0	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	मोहित बेदी	19.11.23	28.12.23	400	00	400
2	संदीप कुमार	19.11.23	28.12.23	400	200	200
3	सोनू कुमार	26.10.23	28.12.23	400	200	200
4	पंकज कुमार	04.02.24	19.03.24	400	200	200
			कुल	**1600**	**600**	**1000**

न वसूली गई उक्त राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/518 दिनांकः–04.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत नरवाणा खास के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जायेगी व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त राशि की प्राप्ति न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, सरकारी कोष जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोश में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर

से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/514 दिनांकः–30.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत नरवाणा खास द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान ₹1800 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई थी, परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0सं0	**वित्तीय स्थिति**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)**
1	2023–24	1800

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/518 दिनांकः–04.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत नरवाणा खास के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.97 लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत नरवाणा खास के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹196897/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के

कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/523 दिनांकः–05.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्त्युत्तर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹0.81 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नरवाणा खास के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि ₹80763/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। फलस्वरूप पारदर्शिता एवं स्टॉक की क्रॉस मॉनिट्रिंग के अभाव में सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से भी अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/522 दिनांकः–05.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि क्रय की गई निर्माण सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹4.17 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/515 दिनांकः–30.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹416654/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/524 दिनांकः–05.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है। भविष्य में उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा, प्रस्तुत उत्तर

अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त ही किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इन प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

नोटः–उपरोक्त व्यय अंकेक्षण अवधि 2023–24 के दौरान समस्त क्रय की गई खनन सामग्री से सम्बन्धित है। अंकेक्षण केवल चयनित माह 08/2023 के व्यय वाउचरों का ही किया गया।

9 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹0.79 लाख का अनियमित भुगतान एवं अन्य अनियमितताओं बारेः–

1. सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि ₹79031 के पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भण्डार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से तीन निविदायें आमंत्रित करके किया गया था तथा न तो ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, परिणामस्वरूप किया गया भुगतान अनियमित तथा आपतिजनक हैः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1	NREGA	Nil/ 02.08.2023	08/ 2023	80mm(Paver.Block)from M/s Riyanshi Enterprises Dodhamb ShahpurBill No 359 dt.-08.09.2022	3830	79031

2. उपरोक्त पत्रानुसार जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना एवं विशेष आई.एस कोड प्रमाण पत्र की सत्यापना उपरान्त ही उक्त फर्म से पेवर ब्लॉक्स क्रय योग्य थे, जोकि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म से तथा जिन फर्मों से कोटेशन प्राप्त की गई थी, उनकी कोटेशन के साथ संलग्न नहीं थे।

3. इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि, उपरोक्त पत्र के अनुसार कार्य न्यूनतम निविदाता को आवार्ड किया जाएगा, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसकी अनुपालना नहीं की गई थी तथा न्यूनतम निविदा द्वारा भुगतान न करके निम्न विवरणानुसार ₹18325 का अधिक भुगतान किया गया था:–

अनुदान	वाउचर सं0 / दिनांक / बिल सं0	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	न्यूनतम व अपेक्षित दर से भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.मनरेगा	Nil/ 02.08.2023/359	M/s Riyanshi Enterprises Dodhamb Shahpur	Grey Paver Blocks (80mm) Red Paver Blocks (80mm)	40893 2580@15.85 19813 1250@15.85	79031	18325

उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत किये गए क्रय तथा वर्णित पत्रानुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करने के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/520 दिनांक:–05.11.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय के पत्र संख्या:–80 दिनांक:–06.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है तथा भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री क्रय की जाएगी व इस मामले को विभाग के उच्च अधिकारियों से चर्चा करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इन अनियमितताओं बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त व्यय को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें तथा अधिक किये गए व्यय को भी पूर्ण विवरण सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके तथा संबंधित शीर्ष मे जमा करवाया जाना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10 राशि ₹2.05 लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

चयनित मास 08/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹2,05,366/– के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका:–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक/बिल संख्या, मस्ट्रोल सं0	मास	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)
1.एस.डी. आर.एफ	14/24.08.2023	08/ 2023	मुरम्मत सुरक्षा दीवार नजदीक अनिल कुमार, ऋषि और अनुप कुमार जमीन वार्ड–2	16040
2..एस.डी. आर.एफ	13/25.08.2023	08/ 2023	मुरम्मत सुरक्षा दीवार नजदीक सुदेश कुमार, राम सिंह, संतोष कुमार, अमर सिंह जमीन वार्ड–3	44608
3.15वां वित	23,25/10.08. 23,25.08. 23/989,मस्ट्रोल–7 769	08/ 2023	निर्माण गेट पंचवटी पार्क नजदीक सुदल नाला वार्ड–4	73794
4.मनरेगा	निल/05.08. 2023/ मस्ट्रोल –1278,1279	08/ 2023	रोड साईड पौधारोपण गांव कस्वा से खिडकू गांव की ओर वार्ड–1	17120
5.मनरेगा	निल/05.08. 2023,16.08.23/ मस्ट्रोल –1277,1530	08/ 2023	मुरम्मत सुरक्षा दीवार नजदीक अनिल कुमार, ऋषि और अनुप कुमार जमीन वार्ड–2	8477
6.मनरेगा	निल/05.08. 2023/ मस्ट्रोल –1280,1281	08/ 2023	नवीनीकरण धन्ना कूलह व दरू खडड की कूल्ह गांव कस्बा वार्ड–2	19355
7.मनरेगा	निल/05.08. 2023,16.08.23/ मस्ट्रोल –1257,1538	08/ 2023	निर्माण गौशाला आशा देवी पत्नी चतरो राम की जमीन में वार्ड–5	6600
8.मनरेगा	निल/05.08. 2023,16.08.23/ मस्ट्रोल –1371,1538	08/ 2023	औषधीय पौधे लगाने हेतु रक्षा देवी पत्नी महिन्द्र सिंह की जमीन	6800
9.एस.डी. पी	निल/05.08. 2023/ मस्ट्रोल –1282,1283	08/ 2023	निर्माण ग्रामीण सम्पर्क मार्ग सुदेश कुमार के घर से चुडल कुल्ह की ओर वार्ड–3	6372
10.मनरेगा	निल/02.08. 2023/516	08/ 2023	निर्माण कुल्ह सिंचाई सुविधा हेतु धनोटी मोहल्ले सामुदायिक भवन से रक्षा देवी के घर की ओर वार्ड–7	6200
			कुल योग	**205366**

उक्त निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत नरवाणा खास से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/521 दिनांकः–05/11/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा, प्रस्तुत प्रत्त्युत्तर नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

11. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹11.54 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 08/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹11,53,580/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/525 दिनांकः–06.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत नरवाणा खास के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा ही भुगतान किया जा रहा है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के

सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः–

1. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हें भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री तथा लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/525 दिनांकः– 06.11.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत नरवाणा खास को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः– 06.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताओं की नियमानुसार अनुपालना की जा रही है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गए विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रपत्र–34 को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इन्हे तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/514 दिनांकः 30.10.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–06.11.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के

दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी। जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5.	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8.	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10.	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11.	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय—समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/514 दिनांकः—30.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—80 दिनांकः—06.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपत्तियांः—

15.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः—

रसीद बुकों के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म—2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप—4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखें। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई

रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण सम्भव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.2 राशि ₹0.03 लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 08/2022 के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार **₹3400**/—का भुगतान दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, बिल/वाउचर के अभाव में कृत व्यय स्वतः सन्देहास्पद प्रतीत होता है । यह एक गम्भीर वितीय अनियमितता है।

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	भुगतान की गई राशि (₹)
1.	सभा निधि	18/09.08.2023	निल	M/s Arthsankhya Edigital Pvt.Ltd.	3400

उक्त बिल/वाउचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/525 दिनांकः—06.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—80 दिनांकः—06.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल/वाउचर को अगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त बिल/वाउचर दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

15.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2023—24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की

अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

765-769 का0 प्र0 03 FEB 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)263/2020—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नरवाणा खास, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0 प्र0

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP NARWANA KHAS FOR THE YEAR 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	481059.19	185547.00	666606.19	206520.00	460086.19

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	3581399.44	4300681.00	7882080.44	4285225.00	3596855.44

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Narwana Khas
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि॰प्र॰)

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या-"5.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP NARWANA KHAS FOR THE YEAR 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	3RD/5TH SFC	2023-24	272938.00	388696.00	661634.00	356125.00	305509.00
2	LADP	2023-24	218129.00	0.00	218129.00	0.00	218129.00
3	SDP	2023-24	190033.00	232501.00	422534.00	206479.00	216055.00
4	MMGPY	2023-24	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00
5	SWACHCHTA SAMITI	2023-24	99346.00	191036.00	290382.00	128339.00	162043.00
6	SDRF	2023-24	102577.00	356340.00	458917.00	301640.00	157277.00
7	VKVNY	2023-24	265261.00	383474.00	648735.00	249815.00	398920.00
8	MPLAD	2023-24	277065.00	66409.00	343474.00	8600.00	334874.00
9	14TH FC	2023-24	39763.00	0.00	39763.00	0.00	39763.00
10	15TH FC/PS/ZP	2023-24	2116287.44	420631.00	2536918.44	872633.00	1664285.44
11	MGNREGA	2023-24	0.00	2161594.00	2161594.00	2161594.00	0.00
TOTAL			3581399.44	4300681.00	7882080.44	4285225.00	3596855.44

नोट:- अनुदान 3rd/5th FC का संचालन खाता सं० 20121009825 से किया गया है, अत: 01/4/2023 को उक्त अनुदानों के आरम्भिक शेष एकमुश्त रु० 272938 (148863+124075) लिया गया है। 25

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Narwana Khas
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट--3 (पैरा संख्या — 4.1)

कार्यालय ग्राम पंचायत नरवाणा खास विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176052

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत नरवाणा खास के दिनांक 01.04.2023 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.23को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत	पी•एन•बी योल	6710000100029857	168153.19	340160.19
2	स्वःस्त्रोत / 5वां वित / एस.डी.पी / एल. ए.डी.पी / एम.एम.जी. पी.वाई	का•के•सह•बैंक योल	20121009825	917272	1057209
3	पंचायत समिति	का•के•सह•बैंक योल	50055835784	36439	0
4	जिला परिषद	का•के•सह•बैंक योल	50055835795	110984	0
5	स्वच्छता समिति	का•के•सह•बैंक टंग	50075336420	67746	150841
6	एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक योल	50055835740	216899	376228
7	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक योल	50055835819	277065	337439
8	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक योल	50055835660	284561	377155
9	14वाँ वित्त	आई•डी.•बी•आई.बैंक योल	1106104000044891	36745	37857
10	15वाँवित्त / पी.एस / जेड़.पी	पी•एन•बी योल	6710000100065442	2116287.44	1664285.44
	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत, ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			683	1410
	हस्तगत शेष (स्वच्छता समिति ,ऑनलाईन रोकड.बही .के अनुसार)			25	0
			कुल योग	**4232859.63**	**4342584.63**

नोटः-- अनुदान एस.बी.एम, सी.एम.आर.एफ, सी.आर.एफ के खातो को शूऩ्य शेष के कारण बंद कर दिया गया है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Narwana Khas
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

26

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या – "6(1)")

कार्यालय ग्राम पंचायत नरवाण खास विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176052

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2023–24 में 754 परिवारों का रु 25/50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2023–24	160325	754	25/50	35075	195400	00	195400
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹195400**/– है।						

ए.पी.एल– **105X25=2625**
बी.पी.एल– **649X50 =32450**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नरवाण खास
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

27

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या - "7.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत नरवाणा खास विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176052

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि:–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2023–24	1800

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Narwana Khas
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

28

परिशिष्ट – 6 (पैरा संख्या '8.1' व '8.2')

ग्राम पंचायत नरवाणा खास विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश, स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SDRF	14/24.08.2023	Cement Bag	42135/24.08.2023	M/s H.P Civil Supply Store Khaniyara	40	401	16040	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.VKVNY	10/25.08.2023	Cement Bag	42137/25.08.2023	M/s H.P Civil Supply Store Khaniyara	35	401	14035	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3.15TH FC	23/10.08.2023	Fabrication material Providing &Fixing with Paint&Colour	989/15.10.2022	M/S Himachal Traders Dodhamb Shahpur	385kg	120	46200	स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
4.NREGA	Nil/02.08.2023	Readymade Sign Board	1971/19.03.2023	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2490	2490	एक निविदा प्रस्तुत की गई
5.NREGA	Nil/02.08.2023	Boulder	115/01.09.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	187 cft	24	4488	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Tractor Fare (Per freight)			21	480	10080	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
6.NREGA	Nil/02.08.2023	Readymade Sign Board	1608/15.09.2022	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2490	2490	एक निविदा प्रस्तुत की गई
7.NREGA	Nil/02.08.2023	Tractor Fare Khad to work site (Per freight)	129/01.10.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	24	380	9120	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
8.NREGA	Nil/02.08.2023	Tractor Fare Khad to work site (Per freight)	111/01.08.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	29	380	11020	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
9.NREGA	Nil/02.08.2023	Tractor Fare Sand Crasher road to work site (Per	484/01.07.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	12	300	3600	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
10.NREGA	Nil/02.08.2023	Tractor Fare (Per freight)	125/01.09.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	16	480	7680	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
11.NREGA	Nil/02.08.2023	Tractor Fare Khad to work site (Per freight)	120/16.09.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	28	380	10640	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
12.NREGA	Nil/02.08.2023	Tractor Fare Boulder(Per freight)	192/16.09.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	4	650	2600	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
		Tractor Fare Agg.(Per freight)			8	650	5200	
13.NREGA	Nil/03.08.2023	Readymade Sign Board	1968/19.03.2023	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2490	2490	एक निविदा प्रस्तुत की गई
14.NREGA	Nil/03.08.2023	Readymade Sign Board	1969/19.03.2023	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2490	2490	एक निविदा प्रस्तुत की गई
15.NREGA	Nil/02.08.2023	Tractor Fare (Per freight)	193/15.12.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	17	580	9860	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
16.NREGA	Nil/03.08.2023	Readymade Sign Board	1973/19.03.2023	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2490	2490	एक निविदा प्रस्तुत की गई
17.NREGA	Nil/02.08.2023	Tractor Fare Agg,Boulder (Per freight)	195/05.02.2023	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	16	480	7680	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
18.NREGA	Nil/03.08.2023	Readymade Sign Board	1611/22.09.2022	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	1790	1790	एक निविदा प्रस्तुत की गई
19.NREGA	Nil/02.08.2023	Tractor Fare Material (Per freight)	114/01.09.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	24	380	9120	दो निविदाये प्रस्तुत की गई

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Narwana Khas
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

29

हस्ताक्षर..................
दिनांक..................

20.NREGA	Nil/03.08.2023	Tractor Fare Material (Per freight)	196/01.02.2023	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	22	380	8360	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
21.NREGA	Nil/03.08.2023	Readymade Sign Board	1970/19.03.2023	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2490	2490	एक निविदा प्रस्तुत की गई
22.NREGA	Nil/02.08.2023	Readymade Sign Board	1974,1971/19.03.2023	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	2	2490	4980	एक निविदा प्रस्तुत की गई
23.NREGA	Nil/03.08.2023	TMT steel (Includung GST)	787/28.06.2022	M/s Saini Ply House Matour			22697	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
24.NREGA	Nil/03.08.2023	Tractor Fare Material (Per freight)	102/16.06.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	1	380	380	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
25.NREGA	Nil/02,03.08.2023	Readymade Sign Board	1976/1972/19.03.2023	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	2	2490	4980	एक निविदा प्रस्तुत की गई
26.NREGA	Nil/02.08.2023	Tractor Fare Agg,Boulder (Per freight)	194/01.10.2022	M/s Anshu Gopal Sohoura Kangra	6	580	3480	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
27.NREGA	Nil/02.08.2023	Readymade Sign Board	1978/19.03.2023	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2490	2490	एक निविदा प्रस्तुत की गई
						कुल योग	231460	

नोट:-1. क्रम संख्या 3, 4 व 5 से लेकर 27 तक की औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं किया गया है
2. क्रम संख्या 1, 2, 3 व 5 की स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई हैं

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड [illegible]
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ग्राम पंचायत [illegible]

Checked

हस्ताक्षर..........................
दिनांक..........................

परिशिष्ट – 7 (पैरा संख्या – "8.3")

ग्राम पंचायत नरवाणा खास द्वारा वितीय वर्ष 2023.24 में कय की गई खनन निर्माण सामग्री का व्यौरा

SDP,VKVNY,SDRF,15TH FC

क संख्या	मद	वाउचर सं /दिनांक	फर्म का नाम	बिल संख्या /दिनांक	सामग्री	मात्रा /CFT	दर	राशि
1	SDP	02 /27-04-2023	मेसर्ज जतिन्दर रोड लाइन व सिमेन्ट स्टोर नरवाणा योल	475/08-09-2022	रेत	400	36	14400
					कसर	300	26	7800
2	SDP	06 /27-04-2023	अंशुल गोपाल सोहडा कांगडा	190/08-09-2022	वोल्डर	280	24	6720
3	VKVNY	05 /27-05-2023	मेसर्ज जतिन्दर रोड लाइन व सिमेन्ट स्टोर नरवाणा योल	512/06-01-2023	रेत	180	36	6480
					कसर	225	26	5850
4	VKVNY	06 /27-05-2023	अंशव विल्डर जनरल आडैर	260/06-01-2023	वोल्डर	100	24	2400
5	SDRF	15 /07-12-2023	मेसर्ज जतिन्दर रोड लाइन व सिमेन्ट स्टोर नरवाणा योल	526/10-5-2023	रेत	390	45	17550
					कसर	725	34.5	25012
6	SDRF	18/07-12-2023	अंशव विल्डर जनरल आडैर	316/07-12-2023	वोल्डर	100	22	2200
7	SDP	7/07-12-2023	अंशुल गोपाल सोहडा कांगडा	155/07-12-2023	वोल्डर	273	24	6552
8	VKVNY	15/26-03-2024	अंशव विल्डर जनरल आडैर स्पलायर सोहडा कांगाडा	349/18-07-2023	वोल्डर	540	22	11880
9	VKVNY	16/26-03-2024	मेसर्ज जतिन्दर रोड लाइन व सिमेन्ट स्टोर नरवाणा योल	532/18-07-2023	रेत	210	45	9450
					कसर	400	34.5	13800
10	SDRF	22/26-03-2024	मेसर्ज जतिन्दर रोड लाइन व सिमेन्ट स्टोर नरवाणा योल	524/10-05-2023	रेत	350	45	15750
					कसर	650	34.5	22425
11	SDRF	23/27-03-2024	अंशव विल्डर जनरल आडैर स्पलायर सोहडा कांगाडा	315/27-03-2024	वोल्डर	150	22	3300
12	15TH FC	29/21-12-2023	मेसर्ज जतिन्दर रोड लाइन व सिमेन्ट स्टोर नरवाणा योल	531/07-07-2023	रेत	180	45	8100
					कसर	330	34.5	11385
							योग (1)	191054

मनरेगा

क्र० सं०	मद	वाउचर नं०/अदायगी दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	सामग्री	मात्रा/प्रति घन	दर	राशि
1	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं० 462/दिनांक 05-07-2022	रेत	400	36	14400
					क्रेशर	400	26	10400
2	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines &	बिल सं० 482/दिनांक 07-	रेत	600	36	21600

30

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Narwana Khas
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

हस्ताक्षर
दिनांक

			Cement store Narwana Bazar Yol Camp	06-2022	क्रेशर	600	26	15600
3	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं० 454 /दिनांक 20-06-2022	रेत	550	36	19800
					क्रेशर	550	26	14300
4	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं० 484 /दिनांक01-07-2022	रेत	400	36	14400
					क्रेशर	400	26	10400
5	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं० 487/ दिनांक 25/08/2022	रेत	300	36	10800
					क्रेशर	300	26	7800
6	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं० 455 /दिनांक 01-07-2022	रेत	60	36	2160
					क्रेशर	60	26	1560
7	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं० 500 /दिनांक 26-09-2022	रेत	300	36	10800
					क्रेशर	300	26	7800
8	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं० 506 /दिनांक 16-11-2022	रेत	120	36	4320
					क्रेशर	200	26	5200
9	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं०457 /दिनांक 01-7-2022	रेत	500	36	18000
					क्रेशर	500	26	13000
10	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं० 501 /दिनांक 02-10-2022	रेत	200	36	7200
11	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं०451 /दिनांक 07-06-2022	रेत	115	36	4140
					क्रेशर	220	26	5720
12	मनरेगा	Nil/02/08/2023	M/ s Jatinder Road Lines & Cement store Narwana Bazar Yol Camp	बिल सं० 503 /दिनांक 01-10-2022	रेत	100	36	3600
					क्रेशर	100	26	2600
							योग (1)	225600
				कुल योग (1+2)				416654

नोट:- उपरोक्त खनन सामग्री को ग्राम पंचायत द्वारा वैध ट्रांजिट पास फार्म x या w प्राप्त किये बिना खरीदा गया है

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Narwana Khas
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

31

हस्ताक्षर
दिनांक